गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ...1689.....
दिनांक 3/6/2022.....

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.8(5)गृह-12/कारा/2020 जयपुर, दिनांक : 31 MAY 2022

परिपत्र

विषयः- कोविड-19 अवधि के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अपनायी जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

राज्य की कारागृहों में निवासरत बंदियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु आवश्यक प्रबंधन करने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.05.2020 में आवश्यक संशोधन कर मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निम्नानुसार हैः-

1. कार्मिको एवं बंदियो द्वारा मास्क/सैनेटाईजर का नियमित उपयोग किया जायेगा।
2. नई आमद के बंदी को पुलिस गार्ड से बिना प्रमाण पत्र के जेल दाखिल किया जाए।
3. कोविड से बचाव हेतु कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना की जायेगी एवं कारागृह में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।
4. कारागृहों में निरूद्व होने वाले नवीन कैदियों के कोविड टीकाकरण के संदर्भ में सूचना एकत्रित की जावें, ऐसे बंदियों को चिन्हित किया जावें जिनका कोविड टीकाकरण नही हुआ है, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो/किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, ऐसे बंदियों के लिये टीकाकरण हेतु विशेष कैम्प का आयोजन करवाकर टीकाकरण/बूस्टर डोज सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
5. नई आमद के बंदी को द्वितीय आईसोलेशन वार्ड में 07 दिवस पश्चात चिकित्सक की स्पष्टता/सलाह पर ही सामान्य वार्ड में स्थानान्तरित किया जाए।
6. किसी बंदी के संक्रमित होने की संभावना हो या संदिग्ध हो तो पृथक से सैपरेट वार्ड में रखा जायेगा।
7. 07 दिवस प्रथम आईसोलेशन वार्ड में पृथक सैपरेट वार्ड में रखा जाए।
8. 07 दिवस पश्चात द्वितीय आईसोलेशन वार्ड में 07 दिवस और रखा जाए।
9. जेल चिकित्सक आइसोलेशन वार्ड के कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। जेल चिकित्सक आईसोलेशन वार्ड के कैदियों का नियमित चेक-अप करेगें तथा रिकार्ड भी संधारित करेंगे।
10. अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में भेजने से पूर्व कोविड टेस्ट नेगेटिव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

11. जेल अधिकारी/कर्मचारी जो आईसोलेशन वार्ड के बंदियों के सीधे सम्पर्क में आते है, ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों एवं उनके परिजनों में इस वायरस का संक्रमण नहीं हो, बाबत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जेल अधिकारियों व इनके परिवारजनों की कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा हेतु नियमित रूप से कोरोना रेण्डम टेस्ट करवाया जाए।

12. चिकित्सा अधिकारी जिला जेलों में आईसोलेशन वार्ड में निरूद्ध बंदियों का नियमित चेक-अप करेंगें। बंदियों के संदर्भ में जेल अधिकारियों द्वारा आइसोलेशन वार्ड में स्वच्छता एवं सैनेटाइजेशन के रखरखाव हेतु जो भी आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है के बारे में जेल अधिकारियों को सुझाव देंगे।

कोविड के संबंध में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

(वी. सरवन कुमार)
शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. प्रोग्रामर,गृह (ग्रुप-6) विभाग को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(भवानी शंकर)
वरिष्ठ शासन उप सचिव